ड्रॉपआउट— अतीत से मिला सबक, अब वर्तमान में नष्ट नहीं करेंगे देश का भविष्य

आनंद कुमार मिश्र*

स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ने (ड्रॉपआउट) की समस्या आज भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के उन अभिभावकों पर केंद्रित है, जिन्होंने स्वयं बाल्यावस्था में पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। साक्षात्कार के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा से वंचित होने के पीछे मुख्य कारण आर्थिक तंगी, अशिक्षित माता-पिता, पारिवारिक कलह और शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी रही है। हालाँकि अब अधिकांश अभिभावक अपनी पिछली भूलों से सबक लेकर अपने बच्चों को स्कूल से बाहर नहीं होने देने का संकल्प लेते हैं। 98.5 प्रतिशत अभिभावकों ने शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए बच्चों की निरंतर पढ़ाई सुनिश्चित करने का वचन दिया। यह शोध दर्शाता है कि जब सरकारी प्रयासों जैसे आर.टी.ई. अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व निपुण भारत अभियान के साथ सामाजिक चेतना और पारिवारिक प्रतिबद्धता जुड़ती है, तब ड्रॉपआउट जैसी समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सकता है।

प्रस्तावना

पेस्टालॉजी के शब्दों में, 'शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील तथा सामंजस्यपूर्ण विकास है'(पाण्डेय, 2012)। इन पंक्तियों का निहितार्थ देखें तो पता चलता है कि मानव विकास के केंद्र में शिक्षा है लेकिन क्या स्कूली शिक्षा को बीच में छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा के अभाव में प्राकृतिक, प्रगतिशील एवं सामंजस्यपूर्ण विकास का समुचित अवसर मिल पाता है? विद्यालयी शिक्षा को बीच में छोड़ने वाले बच्चे 'ड्रॉपआउट' की श्रेणी में आते हैं। 'ड्रॉपआउट' शब्द सुनते ही मन में एक ऐसे बच्चे की तस्वीर उभरकर सामने आती है जिसने समय से पहले, पढ़ाई पूरी करने के पहले ही अपना विद्यालय छोड़ दिया है। इस बच्चे का बचपन किताबों की बजाए समाज की तंग गलियों में खोता नजर आता है। हम अनुमान लगाते हैं कि ड्रापॅआउट बच्चे का बचपन, बोलने से पहले ही 'मौन' हो गया होगा। जिम्मेदारियों या अन्य किसी कारणवश वह शिक्षा की मुख्यधारा से दूर हो गया होगा।

**शिक्षक*, प्राथमिक विद्यालय मलूकपुर, विकासखंड ऐरायां, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश 212 653

इस शोध के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे तमाम विद्यार्थियों के उन अभिभावकों का साक्षात्कार कर ड्रॉपआउट होने का असली कारण तलाशने का प्रयास किया गया है, जिन अभिभावकों ने अपनी बाल्यावस्था में अपनी स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। उनके ड्रॉपआउट होने के पीछे वास्तविक कारण क्या थे? प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के ऐरायां ब्लॉक में स्थित प्राथमिक विद्यालय मलूकपुर में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के उन अभिभावकों से उनके 'मन की बात' पूछी गई। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या उनके द्वारा अतीत में पहने गए 'ड्रॉपआउट' के तमगे को वह अपने पाल्यों को भी पहनाना चाहेंगे? अभिभावकों ने स्पष्ट किया कि उनके सामने चाहे कैसी भी सामाजिक, आर्थिक या परिस्थितिजन्य कठिनाइयाँ क्यों न हों, लेकिन वह अपने बच्चे को अपनी तरह स्कूल से 'ड्रॉपआउट' नहीं होने देंगे।

भारतीय संसद ने बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देते हुए 4 अगस्त 2009 को इससे संबंधित अधिनियम पारित कर दिया। यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के साथ इससे संबंधित अन्य नियमों की भी व्याख्या भी करता है। इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लगातार 40 दिनों तक स्कूल न जाने वाले बच्चों को ड्रॉपआउट मान लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने सभी के लिए शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि, "मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में से एक है। सब राजनीति उस समय तक विफल रहेगी, जब तक कि भारत में जनसाधारण को एक बार फिर भली प्रकार शिक्षित नहीं कर लिया जाएगा" (पाठक, 2012)। केंद्र एवं राज्य सरकारें ड्रॉपआउट की दर को शून्य स्तर तक ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप करने के साथ स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले बच्चों पर भी विशेष ध्यान दिया है। ड्रॉपआउट बच्चों का नामांकन दोबारा कराने के लिए विद्यालय स्तर पर 'स्कूल चलो अभियान' एवं शारदा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ने वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की विशेष व्यवस्था भी की गई है। समृद्ध कार्यक्रम के द्वारा बच्चों की रेमेडियल टीचिंग का प्रावधान किया गया है। 5 जुलाई 2021 से जारी 'निपुण भारत अभियान' के द्वारा भी ड्रॉपआउट की दर को कम करने का सतत प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर पहुँचने से पहले ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को चिह्नत कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से दोबारा जोड़ने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा ड्रॉपआउट बच्चों को लेकर अनेक गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन असल प्रश्न यह है कि ड्रॉपआउट शून्य क्यों नहीं हो

रहा है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉपआउट बच्चों की चुनौती इतने प्रयासों के बावजूद क्यों बरकरार है?

यह समझा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे विद्यालयी पढ़ाई को बीच में छोड़ने का निर्णय स्वयं तो नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं उनके अभिभावकों की भूमिका इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण नजर आती है। प्रश्न उठता है कि आखिर अभिभावकों ने समय रहते अपने बच्चों को स्कूली पढ़ाई बीच में न छोड़ने के लिए प्रेरित क्यों नहीं किया? क्या अभिभावक स्वयं चाहते थे कि उनका बच्चा प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई बीच में ही समाप्त कर घर के कामों में उनका हाथ बँटाए या फिर परिवार की आर्थिक क्षमता में वृद्धि के लिए अपने तरीके से योगदान करें?

आर.टी.ई. एक्ट 2009 में ड्रॉपआउट एवं विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के लिए विशेष उपबंध

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालयी शिक्षा पूरी न कर पाने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का संवैधानिक कवच प्राप्त होने बाद सरकार ने ड्रॉपआउट कम करने एवं स्कूली शिक्षा पूरी करने संबंधी अनेक नियम लागू किए हैं। आर.टी.ई. एक्ट 2009 के दूसरे अध्याय 'निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार' में इस संबंध में निम्नवत प्रावधान किए गए हैं— धारा 3(1) के अनुसार "6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आस-पास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।"

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई बालक किसी प्रकार की फीस या ऐसे प्रभार या व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा, जो प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरी करने से उसे निवारित करें—

परंतु निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (झ) में यथा परिभाषित निःशक्तता से ग्रस्त किसी बालक को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का होगा।

इसके आगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 4 स्कूल में प्रवेश न पाने वाले बच्चों एवं ड्रॉपआउट बच्चों के बारे में बात करती है और उन्हें आयु संगत कक्षा में प्रवेश लेने का अधिकार प्रदान करती है। इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार "जहाँ, 6 वर्ष से अधिक की आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

परंतु जहाँ किसी बच्चे को, उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, वहाँ उसे अन्य बच्चों के समान होने के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी समय सीमा के भीतर, जो विहित की जाए, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

परंतु यह और कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कोई भी बच्चा, 14 वर्ष की आयु के पश्चात् भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा।

आर.टी.ई. एक्ट बच्चों की स्कूली शिक्षा पूरी करने के अधिकार को आगे और स्पष्ट करती है। अधिनियम की धारा पाँच स्थानांतरण के द्वारा स्कूली शिक्षा पूरी करने की बात करती है। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है—

"जहाँ किसी विद्यालय में, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है वहाँ किसी बालक को, धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में, स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा।"

धारा 5 की उपधारा (2) कहती है कि "जहाँ किसी बच्चे से किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है, वहाँ ऐसे बालक को धारा 2 के खंड (ह) के उपखंड (iii) और उपखण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में, स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा"।

धारा 5 की उपधारा (3) के अनुसार, ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उस विद्यालय का प्रधान अध्यापक या भार साधक, जहाँ ऐसे बालक को अंतिम बार प्रवेश दिया गया था, तुरंत स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करेगा, परंतु स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब, ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए विलंब करने या प्रवेश से इंकार करने के लिए आधार नहीं होगा।

इन प्रश्नों के जवाब अतीत में ड्रॉपआउट की जद में आने वाले उन अभिभावकों से साक्षात्कार कर तलाशने का प्रयास किया गया, जिनके बच्चे वर्तमान समय में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।

शोध का उद्देश्य

स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ना, न केवल बच्चों के लिए बल्कि समाज के लिए भी अभिशाप बनता जा रहा है। ड्रॉपआउट होने के कारण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सरकारी प्रयासों के साथ सामाजिक जागरूकता ड्रॉपआउट में कमी ला सकती है। प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. अध्ययनरत स्कूली बच्चों के अभिभावकों से ड्रॉपआउट के खतरों को साझा करना।
2. सामाजिक जागरूकता के द्वारा ड्रॉपआउट की दर में कमी लाना।
3. अतीत से सबक लेकर वर्तमान में बच्चों की शिक्षा पूरी कराने के लिए प्रेरित करना।
4. ड्रॉपआउट के वास्तविक कारणों की पहचान करना।
5. स्कूली शिक्षा के महत्व के प्रति स्कूली छात्रों के माता-पिता को जागरूक करना।
6. अभिभावकों के साथ उनके माता-पिता द्वारा की गई गलतियों को भविष्य में न दोहराने की सीख प्रदान करना।

क्रियाविधि

सैंपल का चयन— प्राथमिक विद्यालय मलूकपुर में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के 200 अभिभावक

उपकरण— साक्षात्कार द्वारा

यह शोध कार्य वर्ष 2024 में किया गया है। लेखक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। लेखक के मन में जिज्ञासा थी कि क्यों न ऐसे अभिभावकों को चिह्नित किया जाए जिन्होंने स्वयं अपनी पढ़ाई कक्षा 8 पूरी करने से पहले ही छोड़ दी। इन चिह्नत अभिभावकों से ड्रॉपआउट होने का कारण पूछा जाए एवं यह भी जाना जाए कि क्या उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने का अब पछतावा है? अब अपने पाल्यों की शिक्षा को लेकर उनके क्या विचार हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए लेखक ने प्रस्तुत शोध को शुरू किया।

प्रस्तुत शोध के लिए सैंपल का चयन करने के लिए विद्यालय के सेवा-क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों से उन अभिभावकों की पहचान की गई, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में अपनी स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। स्कूल आने वाले अभिभावकों के अलावा गाँवों में जाकर भी ड्रॉपआउट की श्रेणी में रह चुके अभिभावकों की जानकारी एकत्र की गई। चयनित अभिभावकों में से अधिकांश मजदूर व किसान थे। अभिभावकों की जानकारी एकत्र करने के लिए साक्षात्कार के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई जिसमें छह प्रश्न शामिल किए गए। प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए कई विकल्प दिए गए थे। प्रश्नावली अभिभावकों के समक्ष साक्षात्कार के समय प्रस्तुत की गई। जो अभिभावक पठन कौशल में दक्ष थे उन्होंने स्वयं प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों के जवाब दिए। हालाँकि कई अभिभावकों को प्रश्नावली पढ़ने में कठिनाई हुई तो उन्हें लेखक द्वारा एक-एक प्रश्न एवं विकल्प पढ़कर सुनाए गए। अभिभावकों से अपील की गई कि सही विकल्प का चयन पूरी ईमानदारी से करें ताकि ड्रॉपआउट के असल कारणों का पता चल सके। यह भी जाना जा सके कि क्या अतीत के कारण वर्तमान में भी मौजूद हैं? क्या अभिभावक अतीत में उनके साथ हुई गलतियों को अपने बच्चों के साथ वर्तमान में भी दोहराना चाहेंगे? अभिभावकों ने धैर्यपूर्वक जवाब दिए और विकल्पों का चयन पूरी गंभीरता के साथ किया।

शोध का परिणाम

आपने स्कूली शिक्षा पूरी क्यों नहीं की?

क्रम संख्या	प्रश्न के विकल्प	जवाब देने वाले अभिभावकों की संख्या	प्रतिशत में (%)
1.	क्योंकि घर में गंभीर आर्थिक विपन्नता थी।	92	46
2.	क्योंकि घर में शिक्षा का माहौल नहीं था।	45	22.5
3.	क्योंकि माता-पिता अशिक्षित थे।	27	13.5
4.	क्योंकि घर में पारिवारिक वातावरण कलहपूर्ण था।	24	12

5.	क्योंकि शिक्षकों का बर्ताव अच्छा नहीं था।	9	4.5
6.	क्योंकि विद्यालय में सुविधाओं का अभाव था।	0	0
7.	या अन्य कोई कारण	3	1.5

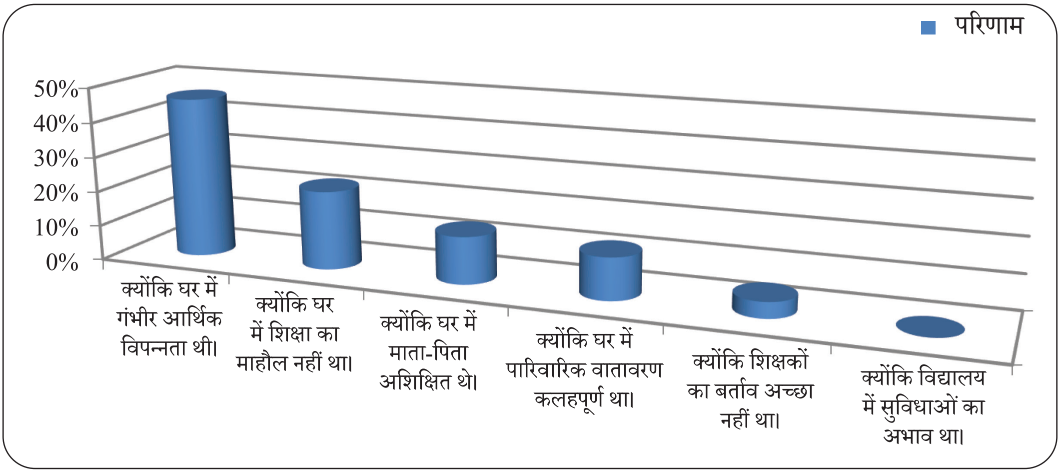

आर्थिक अक्षमता, परिवार का माहौल व कलहपूर्ण वातावरण जिम्मेदार

स्कूली शिक्षा पूरी न हो पाने के पीछे परिवार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण पाई गई। परिवार के आर्थिक रूप से कमजोर होने एवं परिवार का वातावरण कलहपूर्ण होने के कारण तमाम अभिभावकों को बचपन में अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। 46 प्रतिशत अभिभावकों ने माना कि उनके माता-पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस कारण उस समय शिक्षा से अधिक परिवार में आर्थिक योगदान को प्राथमिकता दी गई। 22.50 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि उनके परिवार में शिक्षा के प्रति कोई माहौल या जागरूकता नहीं थी। उनके परिवारों को शिक्षा के महत्व एवं जीवन में उसकी भूमिका को लेकर अपेक्षित सतर्कता नहीं थी। शिक्षा के प्रति सचेत न होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। 13.50 फीसदी अभिभावकों के माता-पिता स्वयं अशिक्षित थे। इस कारण उन्हें शिक्षा के महत्व का ज्ञान नहीं था। माता-पिता ने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया। जबकि ड्रॉपआउट की श्रेणी में रह चुके 12 प्रतिशत अभिभावकों के परिवार में कलहपूर्ण वातावरण ने उनकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव डाला। परिवार में परिजनों के बीच लड़ाई झगड़ा, मारपीट व बँटवारे जैसे बिंदुओं ने उनको स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 200 में से 9 अभिभावक ऐसे भी रहे जिनके ड्रॉपआउट होने के पीछे उनके स्कूल के शिक्षकों का हाथ रहा। शिक्षकों का बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं था। बालमन में शिक्षकों के बुरे आचरण ने ऐसा गहरा असर डाला कि उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

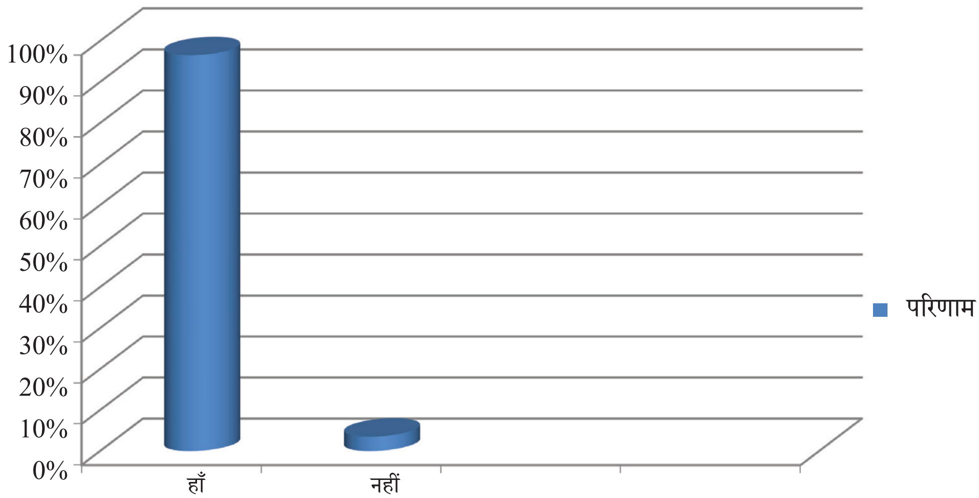

क्या अब कम से कम 8वीं तक की शिक्षा पूरी न करने का अफसोस है?

प्रश्न के विकल्प	जवाब देने वाले अभिभावकों की संख्या	प्रतिशत में (%)
हाँ	193	96.5
नहीं	7	3.5

बस में होता तो पीछे कर लेते घड़ी की सुइयाँ

"का वरषा जब कृषि सुखाने, समय चूँकि पुनि का पछिताने।" यह पंक्तियाँ ड्रॉपआउट की श्रेणी में आने वाले अभिभावकों पर लगभग सटीक बैठीं। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई न करने का उन्हें अब अफसोस है। अभिभावक इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बताते हैं। अनेक अभिभावकों ने बताया कि यदि उनका बस चलता तो समय को पीछे कर लेते और बचपन में पहुँचकर अपनी पढ़ाई पूरी करते। 96.50 प्रतिशत अभिभावकों ने माना कि बचपन में पढ़ाई पूरी न करने का उन्हें अब तक अफसोस है। यदि वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े रहते तो संभवत: आज उनका जीवन अधिक खुशहाल होता। हालांकि 7 अभिभावक ऐसे भी रहे जिन्हें अपनी स्कूली शिक्षा पूरी न करने का कोई गम नहीं था। उनका कहना था कि जो चीज पूरी नहीं हुई, उसका इतने सालों बाद हम दुख क्यों मनाएँ। आगे भी जो होगा, देखा जाएगा।

क्या आप अपने बच्चों को कम से कम 14 वर्ष तक स्कूली शिक्षा प्रदान करेंगे?

प्रश्न के विकल्प	जवाब देने वाले अभिभावकों की संख्या	प्रतिशत में (%)
हाँ	197	98.5
नहीं	3	1.5

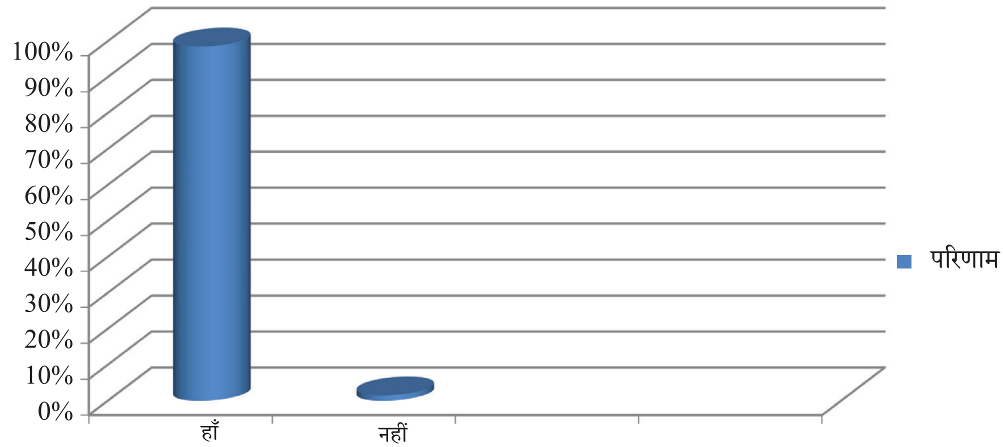

बच्चों की स्कूली शिक्षा अब हमारी प्राथमिकता

बचपन में हुई भूल को वर्तमान में सुधारने के लिए अभिभावक प्रतिबद्ध दिखे। उनका मानना है कि हमारे अभिभावकों ने जो गलतियाँ की, उन्हें अब हम नहीं दोहरा सकते हैं। हम एक जागरूक व सचेत अभिभावक बनकर अपने बच्चों को उनकी विद्यालयी शिक्षा पूरी कराएँगे। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि जितनी उनकी क्षमता है, उसके अनुसार अपने बच्चों को आगे पढ़ाएँगे। 98.50 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि वह अपने बच्चों को कम से कम 14 वर्ष तक कक्षा 8 तक की शिक्षा दिलाएँगे। अपने घरेलू कामकाज व आर्थिक वृत्तियों में संलग्न नहीं करेंगे। अन्य 1.50 फीसदी अभिभावकों ने बच्चों की विद्यालयी शिक्षा पूरी करने को लेकर कोई संकल्प व्यक्त नहीं किया। उनका कहना है कि हम भविष्य के बारे में क्या कह सकते हैं? भविष्य में जैसी परिस्थितियाँ होंगी, उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। हम वर्तमान समय में अपने बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक पढ़ाई कराने की कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं।

यदि हाँ, तो क्यों?

क्रम संख्या	प्रश्न के विकल्प	जवाब देने वाले अभिभावकों की संख्या	प्रतिशत में (%)
1.	क्योंकि हम अपनी गलती दोहराना नहीं चाहते हैं।	92	46
2.	क्योंकि हम अपने बच्चे को सरकारी नौकरी में देखना चाहते हैं।	45	22.5
3.	क्योंकि हम उसे देश का अच्छा शिक्षित नागरिक बनाना चाहते हैं।	27	13.5
4.	क्योंकि शिक्षा का विशेष महत्व है।	24	12
5.	अन्य कोई कारण	9	4.5

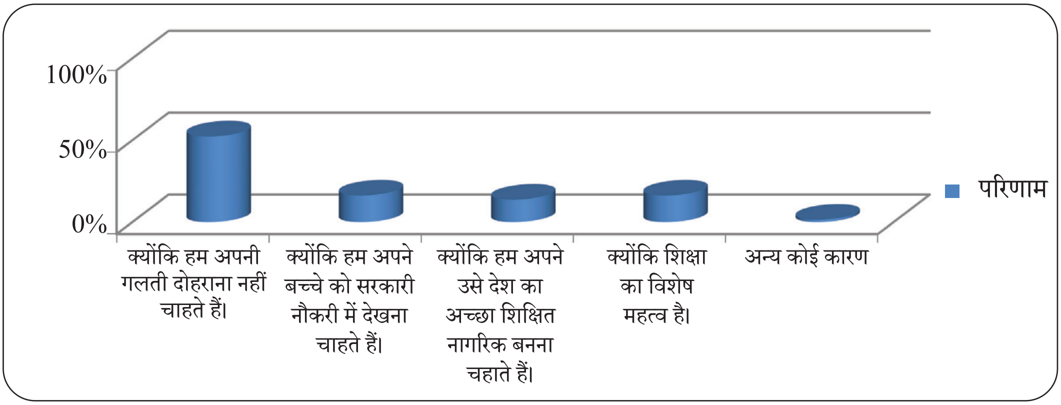

जीवन में अब फिर से नहीं दोहराएँगे अपनी 'भूल'

अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा पूरी कराने का संकल्प व्यक्त करने वाले 197 यानी 98.50 प्रतिशत अभिभावकों ने इसके पीछे की वजह साझा की। इनमें से आधे से अधिक 52.28 प्रतिशत अभिभावकों ने माना कि वह अतीत की भूल को अब नहीं दोहराएँगे। अपने बच्चों को कम से कम 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण कराएँगे। 16.24 फीसदी अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा देने का कारण सरकारी नौकरी को बताया। उनकी लालसा है कि उनके बच्चे शिक्षा हासिल करने के बाद अच्छी सरकारी नौकरी जॉइन करें। इस शोध में एक अनोखा तथ्य यह भी निकल कर सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्र में तमाम समस्याओं से जूझने के बावजूद 13.71 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों को देश का अच्छा और शिक्षित नागरिक बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चे ही देश की भावी पीढ़ी हैं। इनका समझदार और जिम्मेदार होना आवश्यक है। जबकि 16.24 प्रतिशत अभिभावक शिक्षा का महत्व जानने के कारण अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा पूरी कराना चाहते हैं। इन अभिभावकों का मानना है कि शिक्षा का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इस कारण हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं।

यदि हाँ, तो क्यों?

क्रम संख्या	प्रश्न के विकल्प	जवाब देने वाले अभिभावकों की संख्या	प्रतिशत में (%)
1.	क्योंकि अब भी हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं।	1	33.33
2.	क्योंकि हमें परिवार की आर्थिक क्षमता में वृद्धि के लिए बच्चे की आवश्यकता है।	1	33.33
3.	क्योंकि पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होता है।	1	33.33
4.	क्योंकि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं।	0	0
5.	क्योंकि हमारे घर का पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है।	0	0
6.	अन्य कोई कारण	0	0

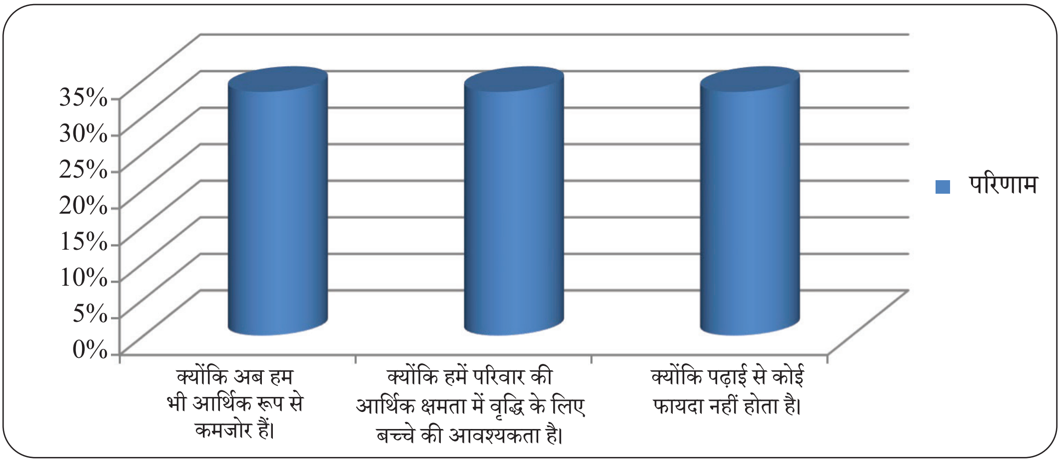

आर्थिक सक्षमता, शिक्षा से अधिक जरूरी!

हालाँकि अपने बच्चों को 14 वर्ष तक की शिक्षा पूरी न कराने का संकल्प व्यक्त न करने वाले अभिभावकों की संख्या मात्र 3 (1–5 प्रतिशत) ही रही, लेकिन फिर भी इन अभिभावकों ने इसका कारण बताया है। तीनों अभिभावकों के अलग-अलग कारण रहे। एक अभिभावक ने कहा कि हम आर्थिक कमजोरी के कारण अपने बच्चे की विद्यालयी शिक्षा पूरी नहीं करा सकते हैं। दूसरे अभिभावक ने बताया कि उन्हें अपने परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए अपने बच्चे की आवश्यकता है। जबकि तीसरे अभिभावक ने कहा कि पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होता है। कई सालों तक विद्यालय जाने से अच्छा है कि बच्चा प्राथमिक स्तर की पढ़ाई पूरी कर घर के कामकाज में हाथ बटाएँ।

क्या अब आपको विद्यालयी शिक्षा के महत्व का ज्ञान हो गया है?

प्रश्न के विकल्प	जवाब देने वाले अभिभावकों की संख्या	प्रतिशत में (%)
हाँ, हो गया है।	197	98.5
नहीं, स्थितियाँ अब भी वैसी ही हैं।	3	1.5

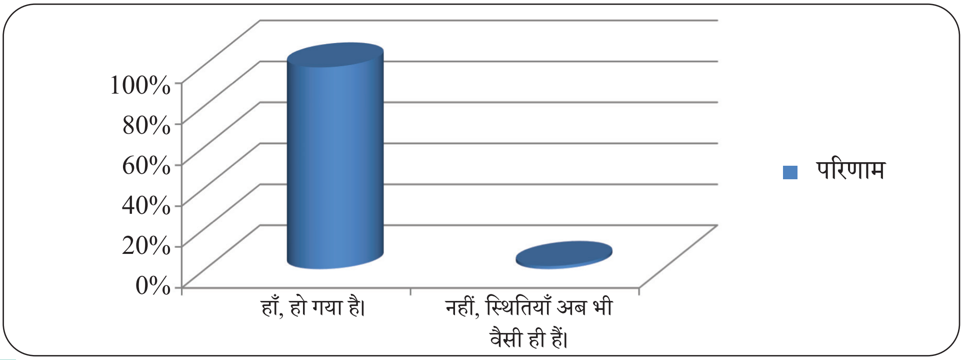

विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम्

विद्यालयी शिक्षा के महत्व का ज्ञान होने के प्रश्न पर अधिकांश अभिभावकों ने हाँ में जवाब दिया। जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों की विद्यालयी शिक्षा पूरी कराने का संकल्प व्यक्त किया था, उन्हीं अभिभावकों ने विद्यालयी शिक्षा के महत्व का ज्ञान होने पर हामी भरी है। 98.5 प्रतिशत अभिभावकों को विद्यालयी शिक्षा का महत्व पता है जबकि मात्र 3 अभिभावकों ने नकारात्मक जवाब दिया।

निष्कर्ष एवं सुझाव

सिरिल बर्ट ने लिखा है कि, "पिछड़ा बालक वह है, जो विद्यालय जीवन के मध्य में (अर्थात लगभग 10 वर्ष 6 माह की आयु में) अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के कार्य को करने में असमर्थ है, जो उसकी आयु के बच्चों के लिए सामान्य कार्य है" (सिंह, 2009)। यह स्थिति एक ड्रॉपआउट बच्चे के समक्ष प्राय: उत्पन्न होती है। हालाँकि ड्रॉपआउट बच्चों को स्कूल तक वापस लाने के लिए अनेक गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने ड्रॉपआउट का मानक भी तय कर दिया है। विद्यालय में नामांकित उन बच्चों को ड्रॉपआउट मान लिया जाएगा, जो लगातार 40 दिन तक विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। विद्यालय चलो अभियान व परिवार सर्वेक्षण के द्वारा इन बच्चों की पहचान कर इन्हें पुन: स्कूल में नामांकित कराया जाता है और इनके उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। सरकार, विभाग व गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उन बच्चों के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जो ड्रॉपआउट की श्रेणी में हैं। ऐसे में समाज को भी अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। अपने राष्ट्र की भावी पीढ़ी को शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमें उन कारणों की पहचान करने की आवश्यकता है जो ड्रॉपआउट का कारण बनते हैं। प्रस्तुत शोध भी इसी दिशा में की गई एक पहल है जिसमें ड्रॉपआउट के कारणों की पहचान करने का प्रयास किया गया है। इसके केंद्र एवं आधार में उन अभिभावकों को शामिल किया गया है जो अतीत में ड्रॉपआउट रह चुके हैं। शोध के माध्यम से न केवल ड्रॉपआउट के कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई, बल्कि वर्तमान में इन अभिभावकों को जागरूक कर इनके बच्चों को ड्रॉपआउट न होने देने के लिए प्रेरित भी किया गया है। शोध में शामिल अधिकांश अभिभावकों ने अपनी स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया में दो से तीन दशक पूर्व शामिल हुए थे और ड्रॉपआउट हो गए थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करने पर जोर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताती है कि "इसके साथ ही 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और भविष्य के विद्यार्थियों का ड्रॉपआउट दर भी कम करना होगा। पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा"।

अध्याय 3 के बिंदु 2 के अनुसार, “कुल मिलाकर दो पहल की जाएँगी जिससे बच्चों का विद्यालय में वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉपआउट होने से रोका जा सके। पहला प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसके माध्यम से प्री-प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक विद्यालयी शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी विद्यालय में अवस्थापना की कमी न हो। सरकारी विद्यालयों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी और ऐसा मौजूदा स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करके, जहाँ विद्यालय नहीं हैं वहाँ अतिरिक्त गुणवत्ता विद्यालय बनाकर और छात्रावासों विशेषकर बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यावहारिक पहुँच प्रदान करके किया जा सकता है, ताकि सभी बच्चों को अच्छे विद्यालय में जाने और समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर मिले। प्रवासी मजदूरों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को मुख्यधारा शिक्षा में वापस लाने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएँगे”।

इसी अध्याय की बिंदु संख्या 3 कहती है कि “दूसरा यह है कि विद्यालयों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की ट्रैकिंग करनी होगी, साथ-साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नजर रखनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे (क) विद्यालय में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं (ख) ड्रॉपआउट बच्चों के लौटने और यदि वे पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बुनियादी स्तर से लेकर कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा के जरिये 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती विद्यालय में की जाएगी जिससे शिक्षक हमेशा विद्यार्थियों और उसके अभिभावक के साथ कार्य कर सकें। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं और सीख रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण से जुड़े सिविल सोसायटी संगठन/ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों के प्रशिक्षित और योग्य सामाजिक कार्यकर्ता राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न नवीन तंत्रों के माध्यम से इस आवश्यक कार्य को करने में स्कूलों से जुड़े हो सकते हैं”।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्याय 3 ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करने और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

बिंदु संख्या 4 के अंतर्गत "जब एक बार विद्यालय का अवसंरचनात्मक ढाँचा और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए, तो कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा और विद्यार्थियों को कक्षा से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण काम होगा, ताकि विद्यार्थी (विशेष रूप से लड़कियाँ और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी) और उनके माता-पिता विद्यालय में भागीदारी के प्रति अपनी रुचि न खोएँ"।

शोध में उस समय के ड्रॉपआउट के जो प्रमुख कारण उभरकर सामने आए हैं, वह आज भी विद्यमान हैं। परिवार में शिक्षा का माहौल न होना, जागरूकता का अभाव, कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, माता-पिता का अशिक्षित होना एवं आर्थिक कमजोरी जैसे कारण सामने आए। यह विडंबना ही है कि इनमें से अनेक कारण अब भी हमारे सामने विद्यमान हैं।

इस शोध के दौरान अनेक सकारात्मक तथ्य भी सामने आए हैं। सबसे अधिक सकारात्मक बिंदु तो यह रहा कि कभी ड्रॉपआउट की श्रेणी में शामिल हो चुके अभिभावक अपने बच्चों को लेकर अब जागरूक हो चुके हैं। वह अपने बच्चों की विद्यालयी शिक्षा पूर्ण कराने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने माना कि उनके बचपन में उनसे जो भूल हुई थी, अब वह भूल अपने बच्चों के बचपन में नहीं करेंगे। कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, अधिकांश अभिभावक अपने पाल्यों की विद्यालयी शिक्षा पूरी कराएँगे। अभिभावकों को शिक्षा के महत्व का भी ज्ञान हो चुका है। शोध के माध्यम से एक प्रकार की सामाजिक जागरूकता भी सामने आई है, जिससे यह कहा जा सकता है कि ड्रॉपआउट के मुद्दे पर सरकारी व विभागीय प्रयास धीरे-धीरे रंग ला रहे हैं। आने वाले समय में ड्रॉपआउट की दरों में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। यह शोध यह भी बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों द्वारा विद्यालयी शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देना, एक चिंता का विषय रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ अब गाँवों में शिक्षा के प्रति लोग सचेत हो रहे हैं। शिक्षा के प्रति यही सामाजिक जागरूकता हमारे देश को विकास के नए पायदान पर ले जाएगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा पूरी करने व ड्रॉपआउट को समाप्त करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इन्हें लागू कर सकल नामांकन अनुपात शून्य पर लाने के प्रयास सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। अब समय आ गया है कि देश में आर.टी.ई. एक्ट 2009 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिए गए प्रावधानों एवं इनकी मंशा को पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ धरातल पर उतार कर ड्रॉपआउट के कलंक को मिटाया जाए। हालाँकि यह लक्ष्य सिर्फ शिक्षकों या विद्यालयी शिक्षा से जुड़े तंत्र से ही प्राप्त नहीं होगा, वरन इसके लिए सभी हितधारकों को आगे आना होगा। शिक्षक, अभिभावक एवं समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

संदर्भ

पाठक, पी.डी. 2012, *भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ*. अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा.

सिंह, कर्ण. 2009. *अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया*. गोविंद प्रकाशन, लखीमपुर खीरी.

पाण्डेय, रामशकल. 2012. *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक*. अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा.